

कार्यालय आदेश

इस मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या ए-34012/1/2019-सी एण्ड डब्ल्यू दिनांक 29/09/2024 में आंशिक सशोधन के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों आरटीआई सूचना प्रदान हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप नामित किया जाता है:-

क्र.स.	अपीलीय अधिकारी	अनुभाग
1.	श्री रोहित राज, निदेशक, <u>प्रथम अपीलीय अधिकारी.</u>	एग्रीमेन्ट अनुभाग /सतर्कता/ एआई अनुभाग Agreement Section/ Vigilance Section/AI Division
2.	श्रीमति न्योनिका दत्ता, संयुक्त निदेशक <u>प्रथम अपीलीय अधिकारी.</u>	एएआई अनुभाग/आर एस अनुभाग/प्रशासन अनुभाग AAI/RS/Administration Division

2. यदि कोई सीपीआईओ या अपीलीय प्राधिकारी किसी विशिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य कारण से सूचना प्रदान करने/अपील का निपटारा करने में अनुपलब्ध है, तो उनसे संबंधित आरटीआई आवेदन/अपील को उस विशिष्ट अवधि के दौरान उनके लिंक अधिकारी द्वारा निपटारा जा सकता है। लिंक अधिकारियों के संबंध में प्रशासन प्रभाग, एमओसीए द्वारा जारी आदेशों का पालन किया जा सकता है।

3. यह एमओसीए में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी ।

विजय प्रताप
25/11/24.
(विजय प्रताप सिंह)

अवर सचिव/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सभी संबंधित अधिकारी।
2. माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री के निजी सचिव।
3. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री के निजी सचिव।
4. सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
5. नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित अनुभाग।
6. तकनीकी निदेशक, एनआईसी सेल, राजीव गांधी भवन।
7. आईटी सेल को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
8. कार्यालय आदेश बंडल।